

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :- ५२२/२०२१

-: आदेश :-

दिनांक :- २९/१०/२०२१

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
१.	चरणसिंह मगर	२०७५-७८	१३०	महिपाल कुशपामाण्ड हिस्सा १/६ महिपाल सिंह कुश पामाण्ड हिस्सा १/२५	महिपाल सिंह कुशपामाण्ड हिस्सा ५/२५

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक :- राजस्व/२०२१/३०३

दिनांक :- २९/१०/२०२१

प्रतिलिपि :-

१. तहसीलदार (भू०अ०) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।

२. प्रार्थी/प्रार्थीया महिपाल सिंह कुशपामाण्ड पति पार १३०-चरणसिंह मगर को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)